लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

प्रेषक,	सेवा में,
अधिशासी अभियन्ता,	मेसर्स आरिन्दम शेखर गारमेन्टस
(हाई./इंटी. सेल)	मार्केटिंग प्रा0लि0
लखनऊ विकास प्राधिकरण	705 से 708 सातवां तल,
नवीन भवन, विपिन खण्ड,	एल्डिको कारपोरेट टावर,
गोमती नगर, लखनऊ	विभूति खण्ड, गोमती नगर,
संख्या:384/E.E./HTIG/16 दिनांक 29-11-2016	लखनऊ – 226010

विषयः ग्राम–बक्कास, मस्तेमऊ एवं माढ़रमऊ कलां में प्रस्तावित (क्षे0–200 एकड़) इन्ट्रीग्रेटेड टाउनशिप के सम्बन्ध में। ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक टाउनशिप के डी0पी0आर0 निर्गत करने के सम्बन्ध में आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 22.11.2016 के क्रम में उपाध्यक्ष महोदय द्वारा निम्न प्रतिबन्धों के साथ दिनांक 26.11.2016 को अनुमोदन प्रदान किया गया है: –

प्रतिबन्धः

अ. विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 15.10.2016 के अनुरूप टाउनशिप में पहुँच हेतु प्रस्तावित 30 मी0 चौड़े मार्ग के सम्बन्ध में यदि कोई भविष्य मे विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी विकासकर्ता कम्पनी मेसर्स अरिन्दम शेखर गारमेन्ट्स मार्केटिंग प्रा0लि0 की होगी।

ब. विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 22.11.2016 के अनुरूप टाउनशिप/डी.पी.आर क्षेत्र की विवादित भूमि क्षेत्रफल को भविष्य में हटाये जाने से टाउनशिप के क्षेत्रफल पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ेगा तथा योजना के डी.पी.आर में प्रस्तावित एवं इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अन्तर्गत नियमानुसार वांछित ग्रीनबेल्ट के क्षेत्रफल को योजना में सुनिशिचत किये जाने का दायित्व विकासकर्ता कम्पनी मेसर्स अरिन्दम शेखर गारमेन्ट्स मार्केटिंग प्रा0लि0 की होगी।

स. विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 15.10.2016 एवं वचनबद्वता शपथ पत्र दिनांक 22.11.2016 के अनुरूप टाउनशिप हेतु प्रस्तावित भूमि यदि किसी अन्य हाइटेक/इंटीग्रेटेड/टाउनशिप की भूमि से प्रभावित होना पाया जाता है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी विकासकर्ता कम्पनी मेसर्स अरिन्दम शेखर गारमेन्ट् मार्केटिंग प्रा0लि0 की होगी।

द. विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये भू–स्वामित्व अभिलेख एवं उसके स्वामित्व की सम्पूर्ण जिम्मेदारी विकासकर्ता कम्पनी मेसर्स अरिन्दम शेखर गारमेन्ट् मार्केटिंग प्रा0लि0 की होगी।

संशोधित डी.पी.आर मानचित्र **दि0 04.11.2016** के अनुरूप डी0पी0आर0 निर्गत के पूर्व **कुल देय** नगरीय विकास शुल्क – रू0 **25,57,14,500.00** प्राधिकरण कोष में जमा कराना होगा।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्तानुसार वांछित धनराशि प्राधिकरण कोष में शीघ्रातिशीघ्र जमा कराने का कष्ट करें ताकि इस सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सकें।

भवदीय,

29/11/16

अधिशासी अभियन्ता,
(हाई./इंटी. सेल)

प्रतिलिपिः

1. उपाध्यक्ष महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. सचिव महोदय को सूचनार्थ।
3. मुख्य अभियन्ता महोदय को सूचनार्थ।
4. मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0 को सूचनार्थ।

अधिशासी अभियन्ता,